पत्रांक–BRRDA(HQ)-MMGSY(W.B)-750/16

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

विषयः बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के International Development Association(IDA)/International Bank for Re-construction and Development(IBRD) से Credit/Loan प्राप्त करने हेतु International Development Association(IDA)/ International Bank for Re-construction and Development(IBRD) के साथ भारत सरकार द्वारा वित्तीय एकरारनामा करने तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना एकरारनामा (Project Agreement) के लिए सहमति के संबंध में।**

राज्य के 27 Non-IAP जिलों यथा अररिया, बाँका, भागलपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज एवं पूणियाँ में 250 से अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है ताकि राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

2. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के संकल्प की कंडिका–2-2 में योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने बजट/भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं वाहय श्रोत से करने का प्रावधान है। संकल्प के सुसंगत कंडिका की प्रति अनुसूची–1 पर है।

3. वित्त विभाग द्वारा आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित मार्गदर्शिका के आलोक में कार्रवाई करने का परामर्श देते हुए विश्व बैंक से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी।

28/4/17

4. उक्त सैद्धांतिक सहमति के आलोक में 5000 कि० मी० पथों के निर्माण हेतु कुल खर्च ₹ 4300 करोड़ अनुमानित लागत के विरूद्ध विश्व बैंक से राशि ₹ 3000 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 1300 करोड़ का प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया।

5. दिनांक–20.11.2014 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संपन्न 44वें संविक्षा समिति (Screening Committee) की बैठक में ₹ 4300 करोड़ की योजना के प्रस्ताव पर विचार किया गया। समिति द्वारा प्रारम्भ में ₹ 2000 करोड़ (333 Million US $) की परियोजना के कार्यान्वयन की अनुशंसा की गयी, जिसके लिए विश्व बैंक से IBRD ऋण के रूप में 70% राशि, अर्थात ₹ 1400 करोड़ उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 30% राशि यथा ₹ 600 करोड़ राज्य सरकार को अपने राज्य बजट से वहन करना होगा। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कुल 5000 कि० मी० पथों (राशि ₹ 4300 करोड़) के लिए परियोजना का परिरूप (Project Design) अभी तैयार किया जाय। प्रथम चरण की प्रगति के आधार पर विश्व बैंक द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा। यह भी सहमति बनी कि योजना का आकार जितना भी हो, उसका 30% राशि राज्य सरकार के बजट से भारित किया जायेगा।

   उक्त बैठक में यह तथ्य भी राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया कि IBRD ऋण के Undisbursed Amount के लिए प्रति वर्ष 0.25% की दर से राज्य सरकार पर Commitment Charge भारित होगा। आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के 44th Screening Committee की बैठक की कार्यवाही अनुसूची–2 पर है।

6. 5000 कि० मी० के पथ निर्माण के लिए ₹ 4300 करोड़ का विश्व बैंक ऋण अंश तथा राज्यांश का विवरण निम्न प्रकार है:–

Component	World Bank Share (in Crore)	State Share (in Crore)	Total (in Crore)
Civil Works	2890	1290	4180
Technical Assistance	110	10	120
Total	3000	1300	4300

7. प्रथम चरण में DEA द्वारा ₹ 2000 करोड़ की योजना को विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से कराने हेतु अनुशंसा किया गया है, जिसमें विश्व बैंक अंश तथा राज्यांश निम्न प्रकार है:–

Component	World Bank Share (in Crore)	State Share (in Crore)	Total (in Crore)
Civil Works	1345	595	1940
Technical Assistance	55	5	60
Total	1400	600	2000

8. इस योजना का कार्यान्वयन विश्व बैंक की मार्गदर्शिका के अनुसार की जायेगी। निविदा की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RRP-II) के लिए निर्धारित Model Bidding Document (MBD) के अनुसार की जायेगी।
9. विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के लिए प्रथम चरण में 10 जिले क्रमशः अररिया, बाँका, बक्सर, छपरा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, पटना एवं पूर्णियाँ का चयन किया गया। इन 10 जिलों में कुल 1051 पथों जिसकी अनुमानित लम्बाई 2453 कि0मी0 है, कार्य निर्माण किया जायेगा। परियोजना के द्वितीय चरण में शेष 17 गैर -IAP जिलों में यथा भागलपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, नालंदा, भोजपुर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, एवं किशनगंज अवशेष 3000 कि0 मी0 लम्बाई के लिए पथों का चयन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
10. बिहार सरकार द्वारा IBRD से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बिहार तथा विश्व बैंक के बीच एकरारनामा किया जाएगा, जिसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद् की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
11. कंडिका–9 एवं 10 के प्रस्ताव पर दिनांक–18.08.2016 को राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गयी। राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत विभाग द्वारा निर्गत संकल्प (BRRDA (HQ) MMGSY (W.B)-340/2015 Part-II-4101, दिनांक–24.08.2015) अनुसूची–3 पर है।
12. दिनांक–17.11.2016 को विश्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा International Developments Association (IDA) द्वारा नियुक्त टास्क टीम के बीच 235 million USD Credit के लिए Negotiation वार्ता हुई। इस वार्ता में निम्नलिखित दस्तावेजों पर विमर्श किया गया एवं सहमति प्रदान की गयी :–
    (i) वित्तीय एकरारनामा (Financing Agreement)
    (ii) परियोजना एकरारनामा (Project Agreement).

(iii) प्रतिपूर्ति पत्र अपरिक्षित वित्तीय प्रतिवेदन सहित (Disbursment Letter Including Un-audited Financial Report)

(iv) परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (Project Appraisal Document)

(v) प्रस्तावित परियोजना अनुश्रवण संकेतक (Proposed Project Monitoring Indicators).

12.1 भारत सरकार, राज्य सरकार एवं International Development Association (IDA) के बीच सहमत ऋण वार्ता की कार्यवाही अनुसूची–4 पर है।

12.2 International Development Association (IDA) के कार्यकारी निदेशक पार्षद द्वारा दिनांक–21.12.2016 को 235 million USD Credit के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। विश्व बैंक से प्राप्त स्वीकृति पत्र की प्रति अनुसूची–5 पर है।

12.3 वित्तीय एकरारनामा की कंडिका–2.03 के अनुसार अप्रत्याहय्त जमा शेष (Unwithdrawn Credit Balance) पर प्रतिवर्ष प्रतिबद्धता प्रभार (Commitment Charge) की अधिकतम अधिसीमा 0.5% निर्धारित की गयी है। प्रतियेक वित्तीय वर्ष के अंत में विश्व बैंक के पार्षद द्वारा अगले वित्तीय वर्ष हेतु 0.5% अधिसीमा के भीतर प्रतिबद्धता प्रभार निर्धारित किया जायेगा।

13. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना ने मुख्य शीर्ष–4515–अन्य तमाम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103, ग्राम विकास, समूह शीर्ष–राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0118–मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित) खोलने में सहमति प्रदान की है जिसका विपत्र कोड सं0–37-4515001030118 है।

14. उपर्युक्त पतरप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये है :–

(क) **दिनांक–17.11.2016 को सम्पन्न Negotiation वार्ता तत्पश्चात् IDA के कार्यकारी निदेशक पार्षद द्वारा अनुमोदित एवं विधि विभाग एवं वित्त विभाग से सहमति प्राप्त तीन वैधिक दस्तावेजों यथा (i) सहमत वित्तीय एकरारनामा (Agreed Financing Agreement) (ii) सहमत परियोजना एकरारनामा (Agreed Project Agreement) (iii) सहमत प्रतिपूर्ति पत्र (अपरिक्षित वित्तीय प्रतिवेदन सहित) (Agreed Disbursement Letter Including Un-audited Financial Report) पर स्वीकृति प्रदान की गयी।**

(ख) **वित्त विभाग से सहमति प्राप्त दस्तावेजों यथा (i) परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (Project Appraisal Document) (ii) पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (Environmental and Social Management Framework) (iii) सहमत परियोजना अनुश्रवण संकेतक (Agreed Project Monitoring Indicators) पर स्वीकृति प्रदान की गयी।**

(ग) **बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के International Development Association(IDA)/International Bank**

for Re-construction and Development(IBRD) से Credit/Loan प्राप्त करने हेतु International Development Association(IDA)/ International Bank for Re-construction and Development(IBRD) के साथ भारत सरकार द्वारा वित्तीय एकरारनामा तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना एकरारनामा (Project Agreement) करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-MMGSY(W.B)-750/16 - 3288 /पटना, दिनांक :– 28.4.17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA(HQ)-MMGSY(W.B)-750/16 - 3288 /पटना,दिनांकः– 28.4.17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राज्यकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA(HQ)-MMGSY(W.B)-750/16 - 3288 /पटना, दिनांक :– 28.4.17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA(HQ)-MMGSY(W.B)-750/16 - 3288 /पटना, दिनांक :– 28.4.17

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA(HQ)-MMGSY(W.B)-750/16 - 3288 /पटना, दिनांक :– 28.4.17

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

28/4/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA(HQ)-MMGSY(W.B)-750/16- 3288 /पटना, दिनांक :–28.4.17

प्रतिलिपिः– श्री अशोक कुमार, Task Team Leader, Bihar Rural Roads Project, World Bank को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA(HQ)-MMGSY(W.B)-750/16 - 3288 /पटना, दिनांक :– 28.4.17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव (MI), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/17

सरकार के सचिव